न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या –221 / 2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 221

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह आयु 55 वर्ष
2. निर्मन्न सिंह पुत्र सुखदेव सिंह आयु 35 वर्ष
3. गुरमीत सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह आयु 32 वर्ष

जाति कुम्हारसिख निवासीगण चोटियांवाली ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1– अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2– तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

3– बीरबलराम पुत्र श्री पूर्णराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व / 2021 / 626 दिनांक 13.07.2021
द्वारा उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़।

उपस्थितिः–

श्री कैलाश कुमार धामू अधिवक्ता अपीलांट

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2

श्री खुशेप्रीत सिह संधू अधिवक्ता रेस्पो सं0 3

निर्णय दिनांक 24.07.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड रावतसर ने अधीनस्थ न्यायालय को पत्रांक टी.62 / 529 दिनांक 22.06. 2021 द्वारा चक 5 एआरडब्ल्यू–ए के मु0नं0 92 / 332 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 (प्रत्येक में 2–2 बिस्वा) में स्वीकृत खाला को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत निवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करने पर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ने पत्रांक राजस्व/2021/613 दिनांक 2.07.2021 रेस्पोडेंट संख्या–2 को प्रेषित कर मौका की रिपोर्ट बाबत प्रेषित किया। रेस्पोडेंट संख्या–2 ने प्रकरण में पत्रांक टीआरए/खाला दुरूस्ती/21/2967 दिनांक 13.07.2021 द्वारा प्रांसगिक पत्र के अनुसार चक 5 आरआरडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 92/332 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 (प्रत्येक में 2–2 बिस्वा) स्वीकृत जलमार्ग को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अनुशंषा करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने आदेश क्रमांक राजस्व/2021/626 दिनांक 13.07.2021 जारी कर चक 5 आरआरडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 92/332 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 (प्रत्येक में 2–2 बिस्वा) स्वीकृत जलमार्ग को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्व अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील इस न्यायालय में पेश की।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट ने अपनी मीमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी मुमकिन भूमि पत्थर 92/332 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा अर्थात .025–.025 भूमि गैरमुमकिन खाला के रूप में दर्ज करने के आक्षेपित आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय को आक्षेपित आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। इस सम्बंध में सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 21 से 28 में केवल जिला कलक्टर को अधिकारिता प्राप्त है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही अपीलांट की खातेदारी भूमि में खाला दर्ज करने से पूर्व अवाप्त की कार्यवाही की गई व ना ही मुआवजा राशि अदा की गई।रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा ऐसा कोई आदेश अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रकट हो कि प्रश्नगत भूमि में खाला स्वीकृतशुदा हो। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में किला नम्बर 5 के उत्तरी कोने में पत्थर लाईन के नजदीक एक कुंआ मय विधुत कनैक्शन (ट्रांसफार्मर व पेड़) होने का अंकन किया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी प्रस्तुत कर चक 2 आर व चक 5 एआरडब्ल्यू का मूल चक प्लान व पत्थर नम्बर 93/331 के रकबा को चक 5 एआरडब्ल्यू में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रस्तुत करने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 01.11.2022 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज को सहायक अभियंता उपखण्ड तृतीय (10वां खण्ड) आईजीएनपी हनुमानगढ़ को पत्र लिखे जाने व उक्त दस्तावेज को आगामी पेशी पर प्रस्तुत करने के आदेश दिये, लेकिन रेस्पोडेंट ने बावजूद आदेश के उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 09.12.2022 को यह आदेश पारित किया कि उक्त दस्तावेज यदि उनके पास उपलब्ध नहीं है तो इस आशय का शपथ पत्र पेश करें। दिनांक 10.07.2023 को सहायक अभियंता–।।। (10वां खण्ड) आईजीएनपी उपस्थित हुए तथा उन्होनें पूर्व में चक प्लान के अलावा अन्य दस्तावेज विभाग के पास नहीं होने के कथन किये। यदि विभाग के पास खाला स्वीकृत होने के कोई दस्तावेजात ही नहीं है तो आक्षेपित आदेश विधि विरूद्व है। नया खाला स्वीकृत करने की अधिकारिता जिला कलक्टर को है। आक्षेपित आदेश बिना सुने पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत भी है। धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं था। पत्थरनम्बर 92/332 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 अपीलांट की कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि में 2–2 बिस्वा अर्थात .025–.025 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन खाला के रूप में दर्ज करने के आक्षेपित आदेश

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

फरमाए हैं जिससे अपीलांट प्रत्यक्ष रूप से व सारवान रूप से प्रभावित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया किअधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं था। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।दिनांक 24.06.2022 को रेस्पोडेंट संख्या–3 व उसके भाईयों व अन्य परिवारजन द्वारा अपीलांट की कृषि भूमि में खड़ी नरमा की फसल को नष्ट करने व खाला खोदने का प्रयास करने पर अपीलांट द्वाराइसका विरोध किया गया तबउनके द्वारा अपीलांट की कृषि भूमि में खाला स्वीकृत करवा लेने का कहने पर अपीलांट द्वारा पड़ताल करने पर आक्षेपित आदेश दिनांक 13.07.2021 का पता चलने पर दिनांक 27.06.2022 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने पर अपीलांट को सर्वप्रथम आक्षेपित आदेश का ज्ञान हुआ इससे पूर्व अपीलांट को आक्षेपित आदेश का ज्ञान नहीं था। उक्त परिस्थितियों दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जावे तथा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त फरमाया जावे। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 21 प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट ने अपनी बहसकरते हुए निवेदन किया कि आक्षेपित खाला स्वीकृतशुदा है। इस सम्बंध में अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड रावतसर का पत्र दिनांक 22.06.2021 महत्वपवूर्ण है जिसमें प्रश्नगत भूमि में 2–2 बिस्वा खाला स्वीकृत होने के तथ्य दर्ज है। खाला स्वीकृत होने के सम्बंध में सिंचाई विभाग जब स्वीकार कर रहा है तो अपीलांट का यह तथ्य मिथ्या हो जाता है कि प्रश्नगत भूमि में खाला स्वीकृत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने नयाखाला स्वीकृत नहीं किया है बल्कि स्वीकृत शुदा खाले का अंकन अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड रावतसर के पत्र पर किया है जिस पर विधि अनुसार कार्यवाही की गई है व पटवारी हल्का ने भी मौके पर कच्चा खाला चलने की रिपोर्ट दी है। प्रश्नगत भूमि गैरमुमकिन खाला की है इसलिए आक्षेपित आदेश से अपीलांट किसी भी रूप में प्रभावित नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा दफा 5 मियद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 13.07.2021 का है। अपीलांट को आक्षेपित आदेश का शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपीलांट ने 24.06.2022 के तथ्य मिथ्या दर्ज किये हैं। रेस्पोडेंट संख्या–3 ने दिनांक 24.06.2022 को अपीलांट की प्रश्नगत कृषि भूमि में अभिकथित नरमा की फसल को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया है। खाला निर्माण करने का दायित्व सिंचाई विभाग का है। रेस्पोडेंट संख्या–3 का पक्का खाला निर्माण करने का दायित्व नहीं है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई कथन नहीं किये हैं और रेस्पोडेंट संख्या–3 के विरूद्व कथन स्वतः ही मिथ्या हो जाते हैं।पटवारी हल्का ने दिनांक 24.06.2021 को मौके पर जाकर रिपोर्ट की है। उक्त रिपोर्ट के सम्बंध में अपीलांट ने कोई कथन नहीं किये हैं। यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि पटवारी हल्का मौका पर जाये और अपीलांट को प्रश्नगत कार्यवाही का ज्ञान न हुआ हो। वस्तुतः अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या–3 के पानी को रोकने की गर्ज से आक्षेपित आदेश का ज्ञान होने के बावजूद मियाद बाहर अपील पेश की है तथा निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनयिम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना सर्वोपरि है। अपीलांट ने दफा–5 मियाद अधिनियम में रेस्पोडेंट सेंख्या–3 के विरूद्व कथन करते हुए उनके द्वारा मौका पर नरमा की फसल नष्ट करने व खाला खोदने का प्रयास करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के कथन किये हैं जबकि पक्के खाले का निर्माण रेस्पोडेंट संख्या–1 के अधीन किया जाता है। अपीलांट का यह तर्क विश्वास योग्य नहीं है कि दिनांक 24.06.2022 को रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा नरमे की फसल नष्ट करने व खाला खोदने का प्रयास किया गया हो। इसके अलावा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.06.2021 को रिपोर्ट दी गई है। पटवारी हल्का द्वारा मौका पर जाकर रिपोर्ट नहीं देने का कोई कथन अपनी मीमो ऑफ अपील व प्रार्थना पत्र में नहीं किया है बल्कि यह कहा है कि पटवारी हल्का ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में दबी जुबान में रेस्पोडेंट संख्या–3 व उसके परिवारजन पत्थर नम्बर 93/332 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 21 से आराजी खाला से पत्थर नम्बर 93/331 की भूमि की सिंचाई करते आ रहे हैं। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट का दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 24.7.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

24/7/23

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़